



दिनांक 24.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति 491 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना चिरैयाकोट

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद

दिनांक 24.09.2026 को थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर असलपुर पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नीरज कुमार उर्फ टाइगर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद आजमगढ़, गाजीपुर के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना चिरैयाकोट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चिरैयाकोट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नीरज कुमार उर्फ टाइगर निवासी सराय धनेश थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- चोरी की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 02 लाख 20 हजार रुपये नगद
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 23.09.2026 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शेरपुर रजवाहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—समीर घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—सुहैल सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया एवं एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 20 हजार रुपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—समीर निवासी ग्राम शेरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2—सुहैल निवासी ग्राम शेरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

- 1—चोरी के 02 लाख 20 हजार रुपये नगद।
- 2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 07 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
 - 60 जीवित, 26 खोखा कारतूस विभिन्न बोर
 - 01 मोटर साइकिल
- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 23.09.2026 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम तावली रजवाहे से डेयरी के पीछे से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 07 अभियुक्तों 1-गुल्लू उर्फ इदरीश 2-कय्यूम 3-शाहनवाज 4-आविद 5-खालिद 6-अरशद 7-बाबू उर्फ इलियास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 60 जीवित, 26 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 01 मोटर साइकिल, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-गुल्लू उर्फ इदरीश निवासी मौ0 प्रेमनगर एलम थाना कांधला जनपद शामिल।
- 2-कय्यूम निवासी हुसैनपुर कलां थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर, हालपता मदीना कालौनी थाना सिविल लाईन जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3-शाहनवाज निवासी तिसंग थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।
- 4-आविद निवासी तिसंग थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।
- 5-खालिद निवासी खांजापुर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
- 6-अरशद निवासी मौ0 इस्लामनगर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
- 7-बाबू उर्फ इलियास निवासी कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ।

बरामदगी

- 1-16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
- 2-60 जीवित, 26 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।
- 3-01 मोटर साइकिल।
- 4-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस-2

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- नगद रुपये, 01 Apple macbook, 01 Apple ipad
- 01 अवैध तमंचा .32 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 24.09.2026 को थाना फेस-2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शमशान घाट मेट्रो लाइन के नीचे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजू उर्फ टीटू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रुपये, 01 Apple macbook, 01 Apple ipad, 01 अवैध तमंचा .32 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व जनपद बदायूं के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, चोरी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेस-2 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फेस-2 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-राजू उर्फ टीटू निवासी ग्राम नगासी थाना उसैहत जनपद बदायूं, हालपता मकनपुर थाना इन्द्रापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1-नगद रुपये, 01 01 Apple macbook, 01 Apple ipad।

2-01 अवैध तमंचा .32 बोर मय जीवित कारतूस।

➤ जनपद औरैया/थाना अजीतमल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अजीतमल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-सर्वेश कुमार उर्फ ढक्का 2-अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25—25 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—नदीम 2—इकबाल को आजीवन कारावास व 25—25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हाथरस/थाना हसायन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 75 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना हसायन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/395/397/412 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जाहिद को आजीवन कारावास व 75 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद अम्बेडकरनगर/थाना को0टाण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 04 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना को0टाण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जितेन्द्र को आजीवन कारावास व 04 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक 24.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति 492 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आजमगढ़ तथा कानपुर इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर की गयी टैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 24.09.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आजमगढ़ तथा कानपुर इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर टैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आजमगढ़ इकाई द्वारा सर्वजीत निवासी ग्राम व पो0 टकरसन थाना बासडीह रोड जनपद बलिया से शिकायतकर्ता की भाभी की आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति कराने व वेतन बरामद कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक संतोष कुमार दीक्षित के नेतृत्व में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के पास से **कनिष्ठ सहायक नन्द कुमार भारती (कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी वि0ख0 हनुमानगंज बलिया)** पुत्र स्व0 विदेशी राम निवासी मिड्डा थाना फेफना जनपद बलिया को **10 हजार रुपये रिश्त** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन कानपुर इकाई द्वारा ओमशरण निवासी ग्राम मोहनपुर राहिन थाना चौबिया जनपद इटावा से शिकायतकर्ता के विरुद्ध शिकायती प्रा0पत्र को समाप्त करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्रीमती अर्चना शुक्ला के नेतृत्व में जिला पूर्ति कार्यालय इटावा से **खाद्य एवं रसद विभाग के 1-योगेश कुमार वर्मा (पूर्ति निरीक्षक)** पुत्र बिन्द्रादीन वर्मा निवासी ग्राम प्रतापपुर थाना लालगंज जनपद रायबरेली **2-धर्म नारायण (राशन डीलर चकवा बुजुर्ग)** पुत्र राम नरेश निवासी ग्राम व पोस्ट चकवा बुजुर्ग थाना बसरेहर जनपद इटावा **3-पुष्पेन्द्र कुमार (ब्लाक इंजीनियर OASYS प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई)** पुत्र प्रेम सिंह निवासी मोहब्बत जसोहन थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा को **30 हजार रुपये रिश्त** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।